

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:-

Comprehensive Housekeeping, Maintenance and Operation Contract work (for 5 years) of Rajgir International Convention Centre (RICC), Nalanda (पंचम वर्ष जनवरी, 2026 से दिसम्बर, 2026 तक) हेतु कुल ₹5,22,82,111/- (पाँच करोड़ बाईस लाख बेरासी हजार एक सौ ग्यारह रुपये) मात्र का वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राप्त कोटेशन पर विभागीय निविदा समिति के अनुशंसा एवं अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के पत्रांक-1680 अनु0, दिनांक-23.12.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल ₹5,22,82,111/- (पाँच करोड़ बाईस लाख बेरासी हजार एक सौ ग्यारह रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि "मांग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-053-रख रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-अनुरक्षण और मरम्मत मतदेय-विपत्र कोड-03-2059800530001 के विषयशीर्ष-27-लघुकार्य-0001.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत" के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ध्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययादेश के उपरांत ही राशि की निकासी की जा सकेगी।
4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ होंगे।
5. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, नालंदा, बिहारशरीफ से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेन्सी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।
6. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा सं0सं0-भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध 8-22/20 के पृष्ठ-67/टि. पर दिनांक-17.02.2026 को प्रदान की गयी है।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध-8-22/20 के पृष्ठ-67/टि0 पर प्राप्त है।
9. वित्त विभागीय परिपत्र सं0 7355 वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 366 f11

पटना, दिनांक- 23/12/26

प्रतिलिपि-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(पटना)/निरूपण उपभाग/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव